

प्रेस- नोटथाना- बिलरियागंजलड़की को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तारपूर्व का विवरण-

दिनांक- 07.06.2022 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी महेश पुत्र विश्वनाथ साकि0 करमैनी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को भगा ले गये है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 118/2022 धारा 363/366/368 भा0द0वि0 बनाम 03 नफर के पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को बरामद किया गया तथा नामित अभियुक्त महेश पुत्र विश्वनाथ साकि0 करमैनी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 14.02.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 14.02.2024 को उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित महेश पुत्र विश्वनाथ उर्फ छोटक सा0 करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जैगहा बाजार से समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 118/2022 धारा 363/366/368 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़
- मु0अ0सं0 286/23 धारा 174-ए भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- महेश पुत्र विश्वनाथ उर्फ छोटक सा0 करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

- उ0नि0 अवधेश उपाध्याय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- हे0का0 राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारीकिशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना..

दिनांक 04.02.2024 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि वादी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का स्कूल जाने के लिए घर से निकली और वापस घर न आयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 37/24 धारा 363 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ द्वारा किया जा रहा है।

दौरान विवेचना मुकदमा उक्त की अपहृता को दिनांक 12.02.2024 को बरामद किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उक्त में अभियुक्त कैफ पुत्र इशतेयाक खान साकिन कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.02.2024 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय हमराह द्वारा मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कैफ पुत्र इशतेयाक खान साकिन कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को हाइडिल चौराहा सिधारी से समय 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 37/24 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 37/24 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- कैफ पुत्र इशतेयाक खान साकिन कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिधारी आजमगढ़
- कां0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
- कां0 इन्दल यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना रौनापार

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19.10.23 को विपक्षी शिवा कुमार पुत्र हरिलाल राम ग्राम अजगरा मगर्वी बेलहिया थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 339/23 धारा 363/366 भा.द.वि. बनाम शिवा कुमार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पीड़िता की बरामदगी व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन तथा पीड़िता के बयान 161 व 164 सीआरपीसी के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 15.02.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवा कुमार पुत्र हरिलाल राम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अजगरा मगर्वी बेलहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को हनुमानगढ़ी मन्दिर खरैलिया ढाला के पास से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 339/23 धारा 363/366/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 339/23 धारा 363/366/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-शिवा कुमार पुत्र हरिलाल राम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अजगरा मगर्वी बेलहिया थाना रौनापार आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

फरार अभियुक्त के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

घटना का संक्षिप्त विवरण---- अभियुक्त राम निवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव साकिन सरदहा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0-513/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की विवेचना थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्तगण के घर विभिन्न तिथियों में दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ और न ही मा0 न्यायालय में हाजिर हुआ। मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 कोर्ट नं0 06 (गैंगेस्टर कोर्ट) आजमगढ़ के आदेश के क्रम में 82 सीआरपीसी की नोटिस व्यापक प्रचार प्रसार तथा मुनादी कराते हुए घर तथा सर्वविदित स्थानों पर नोटिस की प्रति चस्पा की गयी है।